न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 286/2015

दायर दिनांक :- 27.02.2015

उनवान

1. सीताराम पुत्र रामप्रताप जाति जांगिड़ निवासी मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा।

– (वादी)

बनाम

1 बच्चूसिंह पुत्र रोशनलाल जाति गुर्जर निवासी खुरीकलां तहसील व जिला दौसा।

2 रामनाथ पुत्र रामप्रताप जाति ब्राहम्ण निवासी खुरीकलां तहसील व जिला दौसा।

3 कमलेश कुमार पुत्र रामदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी मालगवास तह. व जिला दौसा।

4 मुरारीलाल पुत्र गोविन्दसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी मालगवास तह. व जिला दौसा।

5 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

6 उपपंजीयक दौसा कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट परिसर दौसा।

–(प्रतिवादीगण)

उपस्थितिः– 1. श्री बी0एम0 गौड़, अधिवक्ता वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांकः 29-11-2021

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम मालगवास तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 159 रकबा 0.91 है0, खसरा न0 160 रकबा 0.30 है0 तथा खसरा न0 161 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 161 रकबा 0.47 है0 में वादी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 5/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 है तथा वादी का प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/4 है। आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 30 ऐयर में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/2 एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का संयुक्त हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/4 है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की भूमि में वादी का हिस्सा 13/24, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/4 है। आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 91 ऐयर के 1/2 में वादी का हिस्सा 5/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 तथा हिस्सा 1/2 में वादी का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का हिस्सा 1/4 अंकित है। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर में वादी का हिस्सा 2/3 है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायात 4 आराजी वादग्रस्त को अपने अपने हिस्सेनुसार काश्त करते है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. भूमि विभाजन आराजी खसरा न0 161 रकबा 47 ऐयर वाके ग्राम मालगवास में वादी के हिस्सा 2/3, आराजी खसरा नम्बर 160 रकबा 30 ऐयर में वादी का हिस्सा 13/24 एवं आराजी खसरा नम्बर 159 रकबा 91 ऐयर में वादी का [illegible]/3 का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन करवाकर वादी के हिस्से की भूमि के खातेदारी [illegible] राजस्व एवं पटवार में पृथकशः अंकि करवाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53.16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किय गये। प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खुरीकलां में दिनांक 29.05.2018 को पेश हुई। उस समय वादीने न्यायालय कैम्प कोर्ट में तकास्मा हेतु प्राथमिक डिक्री जारी करने के लिए निवेदन किया। न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम मालगवास तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा न0 159 रकबा 0.91 है0, खसरा न0 160 रकबा 0.30 है0 तथा खसरा न0 161 रकबा 0.47 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.68 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7350 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2019/233 दिनांक 10.01.2019 के द्वारा तीन प्रतियों की बजाय दो प्रतियों में एवं बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तीन प्रतियों तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षकर करवाकर भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2020/1422 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर दिये गये। कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू0अ0/2021/1379 दिनांक 26.02.2021 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट दो-दो प्रतियों में इस न्यायालय को दिनांक 09.03.2021 को निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	सीताराम पुत्र रामप्रताप हि0 107/149, विद्या देवी पत्नि सीताराम, माया देवी पत्नि रामावतार हि0 42/149 कौम जांगिड़ ब्राहम्ण सा0 देह	159/1	0.76	बा. I	
		160/1	0.26	बा. I	
		161	0.47	बा. I	
		किता 3	1.49		13.41
2.	रामनाथ पुत्र रामप्रताप कौम ब्राहम्ण सा0 देह	160/2	0.04	बा. I	0.36
3.	बच्चूसिंह पुत्र रोशनलाल जाति गुजर राहिन ओबीसी शाखा दौसा	159/2	0.15	बा. I	1.35

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:16 IST
Reason: Self attested

तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। पत्रावली सुनी गई। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीका वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

:: आदेश ::

वादी वादीमुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 29/11/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर दौसा
दौसा, जिला दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.23 10:53:16 IST
Reason: SelfAttested